

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-3293/11-सी- FP/UP/Approach/44699/2020 लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 29, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) किमी० ०३ चैनेज-२.२४३ की बांयी पटरी पर खसरा संख्या-१० में मै० इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क के निर्माण हेतु ०.०६९७७७ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव FP/UP/Approach/44699/2020

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-८बी०/यू०पी०/०६/६८/२०२२/एफ०सी०/४९८, दिनांक-०१.०२.२०२४
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-३४६०/१४-१, दि० २४.०४.२०२४ द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

7

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-3293/11-सी FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- २- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
- ३- मुख्य प्रबन्धक(रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, आगरा मण्डल, कार्यालय ६५/२, संजय प्लेस, आगरा-२८२००२ (यू०पी०)।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-3293/11-सी FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)
पत्रांक / 14-1(44699/2020)दिनांक: अलीगढ़:अप्रैल: 24, 2024

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी 0.03 (चैनेज-2.243) की बांयी पट्टरी खसरा संख्या-10 में मै 0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि 0 द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे 0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/ यूपी0/एप्रोच/44699/2020

सन्दर्भ:-

- 1- भारत सरकार की पत्र सं0-08बी/यूपी0/06/68/2022/एफ.सी./498 दिनांक 01.02.2024
- 2- आपका पत्रांक-1950/11सी-एफ.पी./यू.पी./एप्रोच/44699/2020 दिनांक 06.02.2024.
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक-2812/14-1 दिनांक 02.04.2024.

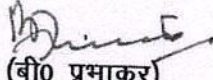
महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के सन्दर्भित पत्र से उपलब्ध कराया गया है, जो कि संलग्नक सहित ऑनलाइन कर निम्न प्रकार प्रेषित है:-

Sl.No.	Observation	Reply
1-	DFO needs to take cognizance of the violation and initiate action as per FCA guidelines dated 15.05.2023 as directed and authorized by REC.	प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त के अनुपालन में प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक-293/14-1, दिनांक 3.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाग से बन्द किया जा चुका है तथा एफ0सी0ए0 गाइड लाइन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0-0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज कराई जा चुकी है। (संलग्नक)
2-	A Detailed report regarding the same shall be submitted to this office for sending the proposal to the ministry for further necessary action.	उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन का विस्तृत कालक्रम संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

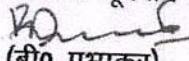

(बी0 प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी- वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक-3460/ दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आई0ओ0सी0 भवन 65/2 संजय प्लेस आगरा-282002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।


(बी0 प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी- वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरसवनप्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 2812 / 14-1, दिनांक: हाथरस: अप्रैल, 02 2024

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर आई०ओ०सी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/06/68/2022/एफ०सी०/495 दिनांक 01.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर आई०ओ०सी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०स०	आपत्ति	निराकरण
1	DFO needs to take cognizance of the violation and initiate action as per FCA guidelines dated 15.05.2023 as directed and authorized by REC.	उक्त के अनुपालन में उक्त प्रतिष्ठान इस कार्यालय के पत्रांक 293/14-1 दिनांक 3.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जा चुका है तथा एफ०सी०एल० गाइड लाईन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज करायी जा चुकी है। (संलग्नक-1)
2	A detailed report regarding the same shall be submitted to this office for sending the proposal to the ministry for further necessary action.	उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विस्तृत कालक्रम संलग्नकर प्रेषित है। (संलग्नक-2)

संलग्नक-अप्रील 02

भवदीय,

(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक

/ 35-1 दिनांक

प्रतिलिपि-प्रबन्ध आई०ओ०सी०एल० आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।